धौलपुर (राज0)

28/10/24

वकील सायल उप0। मूल वाद खारिज किया जा चुका है।
मूल वाद के अभाव में इस पत्रावली पर आगे कार्यवाही
का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद वादीया खारिज होने
के कारण यह प्रार्थना पत्र मूल वाद के अभाव में खारिज
किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible]
लेकर बी मूल वाद की पत्रावली के साथ संलग्न
रहे।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)